



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक १]

सोमवार, फेब्रुवारी २३, २०२६/फाल्गुन ४, शके १९४७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित २६ दिसम्बर २०२५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIII OF 2025.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS,
NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT, 1965.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ सन् २०२५।

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर
संशोधन करने संबंधि अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०२५ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९६५ का
महा. ४० की धारा
५१क-१क में
संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसमें इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५१क-१क की, उप-धारा (३) के पश्चात् निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

सन् १९६५
का महा.
४०।

"(३क) (एक) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में और पार्षद के रूप में निर्वाचित हुआ है तब वह एक साथ दोनों पदों को धारण कर सकेगा।

(दो) एक साथ अध्यक्ष और पार्षद का पद धारण करनेवाले व्यक्ति को या तो अध्यक्ष या पार्षद के रूप में केवल एक मत देने का अधिकार होगा :

परंतु, मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।"।

सन् १९६५ का
महा. ४० की धारा
३४१ ख-१क में
संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३४१ ख-१क, की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(३क) (एक) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद रूप में निर्वाचित हुआ है तब वह एक साथ दोनों पदों को धारण कर सकेगा।

(दो) एक साथ अध्यक्ष और पार्षद के रूप में पद धारण करनेवाले व्यक्ति को या तो अध्यक्ष या पार्षद के रूप में केवल एक मत देने का अधिकार होगा :

परंतु, मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।"।

वक्तव्य

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की धारा ५१क-१क और ३४१ ख -१क क्रमशः नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सभापति का सीधा निर्वाचन करने के लिए उपबंध करती है ।

२. नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पार्षद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हताप्राप्त प्रत्येक व्यक्ति उसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए भी अर्हता प्राप्त है । इसलिए, यह संभव है कि, व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और पार्षद के रूप में भी चुनाव लड़ सकेगा और दोनों पदों पर निर्वाचित भी हो सकेगा । ऐसे व्यक्ति को दोनों पदों के लिए लोगों का निर्वाचक जनादेश मिला है । अध्यक्ष के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति पार्षद के रूप में भी निरंतर रहेगा और अध्यक्ष और पार्षद के रूप में एक साथ कार्य करेगा ।

इसलिए, सरकार यह इष्टकर समझती है कि, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष पार्षद के रूप में भी निरंतर रहने में समर्थ बने। इसलिए, विशेष रूप से यह उपबंध करने की, प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष और पार्षद के रूप में निर्वाचित व्यक्ति एक साथ दोनों पदों को धारण कर सकेगा, उक्त अधिनियम, १९६५ की धारा ५१क-१क और ३४१ख-१क में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है। यह भी उपबंध करने का प्रस्तावित किया गया है कि, ऐसे व्यक्ति को या तो अध्यक्ष के रूप में या पार्षद के रूप में केवल एक मत होगा और मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा ।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित २५ दिसम्बर २०२५।

आचार्य देवव्रत,

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,—

डॉ. के. एच. गोविंद राज,

सरकार के अप्पर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,

प्रभारी भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।